न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 75/2019 दायरा दिनांक : 23.09.2019

उनवान

कालू लाल वल्द जगन्नाथ, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— बसन्ती बाई पिता कनीराम जोजे फूलचन्द, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, हाल निवासी गडावली, तहसील मनोहरथना, जिला झालावाड़

2— वीरम पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— जगदीश पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— हेमराज पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— रामप्रसाद पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6— ललता बाई पुत्री जानी बाई जोजे हीरालाल, जाति लोधा, निवासी झीरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7— चन्द्रकला बाई पुत्री जानीबाई पत्नी घनश्याम, पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी कोहडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8— कमला बाई पुत्री जगन्नाथ जोजे भूरालाल, जाति लोधा, निवासी गजवाडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9— संतोष बाई पुत्री जगन्नाथ जोजे भूरालाल, जाति लोधा, निवासी नागन्याखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

10– रोडू लाल पुत्र मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

11– जगदीश वल्द मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

12– सन्ता लाल वल्द हीरा लाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

13– मोहनलाल वल्द हीरा लाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

14– मुसम्मात प्रेम बाई पुत्री हीरालाल, पत्नी वीरम लाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

15– केला बाई पुत्री हीरालाल, पत्नी मोतीलाल, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

16– रंगलाल आत्मज हीरालाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

17– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

18– उपपंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय अकलेरा

19– हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 56/दावा/2010 निर्णय व डिकी दिनांक 28.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम गणेशपुरा, तहसील अकलेरा की खसरा नम्बर 54, 55, 56, 152, 195, 196, 197, 206, 208, 215 कुल 10 किता की 27 बीघा आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट कम 1 वादिनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री कर 7 किता की कुल 24 बीघा 10 बिस्वा आराजी में से रेस्पोडेंट कम 1 वादिनी को 1/7 हिस्से आराजी का खातेदार घोषित कर बंटवारे का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी के मामले में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 13.06.89 रेस्पोडेंट वादिनी के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर घोषित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी बिना किसी आधार के पुश्तैनी मानकर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड की ओर उचित गौर नहीं फरमाकर बिना आधार के वादिनी को कनीराम की पुत्री मान लिया जो अवैधानिक है । विवादित आराजी जगन्नाथ की थी और जगन्नाथ के जीवनकाल में ही कनीराम फौत हो चुका था ऐसी स्थिति में जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम फौती इन्तकाल नं. 57 दिनांक 13.06.89 तस्दीक किया गया था । यदि कनीराम की पुत्री बसन्ती बाई होती तो उस वक्त नामान्तरकरण में बसन्ती बाई का नाम आता या समय पर अपने अधिकारों बाबत कानूनी कार्यवाही करती, परन्तु नामान्तरकरण तस्दीक होने के करीब 20 वर्षों तक भी अपने अधिकारों के लिए कार्यवाही नहीं की । ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 57 बेअसर घोषित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वह दौराने वाद आराजी का बेचान नहीं करें, जबकि वाद का तो निर्णय ही हो चुका है इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं बंटवारे का दावे पेश किया जिसमें उसका 1/7 हिस्सा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

घोषित किया गया । विवादित आराजी जगन्नाथ के खाते की थी । नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 13.06.1989 की अपील भी नहीं की थी । जगन्नाथ का एक लडका ला औलाद फौत हो गया था जिसकी पत्नी पारा बाई रोडूलाल के नाते चली गई । जगन्नाथ की मृत्यु के 20 वर्ष बाद बसन्ती दावा लाई कि जगन्नाथ के पुत्र कनीराम की पुत्री बनकर आई जिसे सिविल कोर्ट में तय कराना चाहिए । उत्तराधिकारी होने का यह रेवेन्यु कोर्ट को अधिकार नहीं है । पारा बाई पी डब्ल्यू 2 ने बयान में पाराबाई दावा दायरी के समय जिन्दा थी अगर पुत्री होती तो पाराबाई को पक्षकार बनाना चाहिए । दस्तावेज में बसन्ती बाई को पुत्री होना बताया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2007 (1) पेज 720 एच सी उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि जगन्नाथ की गणेशपुरा में 27 बीघा भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया । नामान्तरकरण नम्बर 57 राजस्व अभियान में खुला । इनके बयानों से बसन्ती कनीराम की पुत्री है । दावे में 53 व 88 की कोई लिमिटेशन नहीं है । नामान्तरकरण की अपील की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1994 पेज 659, हिन्दू सेक्शन एक्ट 1956 सेक्शन 6 पेज 77, आर टी एक्ट 1955 पेज 221 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 7 तनकी बनायी गई है एवं प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया गया है । तनकी संख्या 1 से 4 वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की गई हैं तथा तनकी नम्बर 4 और 5 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई है और तनकी नम्बर 7 में वाद वादिनी अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में डिक्री जारी की गई है । प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु उत्तराधिकार से सम्बन्धित है । तनकी संख्या 2 में वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता के स्वयं के बयान व वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता के नाते के पति रोडूराम के बयान कलमबद्ध करवाये जिसमें वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 कन्हीराम की पुत्री होना साबित होती है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वतंत्र गवाहों में जिसमें अपीलांट के बयान भी शामिल है, में

अंकित किया है कि पारा बाई का नाता विवाह हुआ है किन्तु उनके सामने नहीं हुआ है जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है जब नाता विवाह उनके समक्ष नहीं हुआ है तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि बसन्ती बाई रेस्पोडेंट नम्बर 1 उस समय नहीं थी और कन्हीराम की पुत्री नहीं है । वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता द्वारा अपने बयानों में अंकित किया है "कि कन्हीराम के साथ मैने उनके जीवनकाल में दामपत्य जीवन का निर्वाह किया है जिसके फलस्वरूप पुत्री वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 बसन्ती बाई का जन्म कन्हीराम के नुत्फे से मेरे ग्राम किशनपुरा में हुआ था । इस प्रकार बसन्ती बाई कन्हीराम की सुलभ पुत्री है परन्तु बाल्यकाल में ही उसके पिता कन्हीराम का स्वर्गवास होने के बाद मुझे काफी प्रताड़ित किया गया जिससे मैने मजबूर होकर बसन्ती बाई व मेरा जीवन सुधारने के लिए रोडूलाल के साथ नाता विवाह किया था । इस प्रकार बसन्ती बाई रोडूराम की पुत्री नहीं है बल्कि कन्हीराम की पुत्री है ।" इस प्रकार उक्त आधार को साबित करने के लिए मां के बयानों को आधार मानना ही उचित प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के विवचेन में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का तनकीवार विवेचन करके साक्ष्य, सबूत के आधार पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Ind/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

कालू लाल वल्द जगन्नाथ, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

..... अपीलांट

बनाम

1– बसन्ती बाई पिता कनीराम जोजे फूलचन्द, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, हाल निवासी गडावली, तहसील मनोहरथना, जिला झालावाड़
2– वीरम पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– जगदीश पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– हेमराज पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5– रामप्रसाद पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6– ललता बाई पुत्री जानी बाई जोजे हीरालाल, जाति लोधा, निवासी झीरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
7– चन्द्रकला बाई पुत्री जानीबाई पत्नी घनश्याम, पुत्र जानी बाई जाति लोधा, निवासी कोहडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
8– कमला बाई पुत्री जगन्नाथ जोंजे भूरालाल, जाति लोधा, निवासी गजवाडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
9– संतोष बाई पुत्री जगन्नाथ जोजे भूरालाल, जाति लोधा, निवासी नागन्याखेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
10– रोडू लाल पुत्र मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11– जगदीश वल्द मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
12– सन्ता लाल वल्द हीरा लाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
13– मोहनलाल वल्द हीरा लाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
14– मुसम्मात प्रेम बाई पुत्री हीरालाल, पत्नी वीरम लाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
15– केला बाई पुत्री हीरालाल, पत्नी मोतीलाल, जाति लोधा, निवासी भूगरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
16– रंगलाल आत्मज हीरालाल, जाति लोधा, निवासी झालीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
17– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़
18– उपपंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय अकलेरा
19– हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 75/2019 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
मु.द.नं0 56/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक – 28.08.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 02 माह 02 सन् 2021

हाजरी श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री ए के जैन अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)